राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

क्रमांक : प–42(169)/मुसप्र/नियमितिकरण/2017/730 दिनांक : 9/10/17

उप आवासन आयुक्त (समस्त),
आवासीय अभियन्ता (समस्त)
राजस्थान आवासन मण्डल,
वृत्त/खण्ड .....

विषयः–राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा आवंटित/विक्रीत स्थावर सम्पतियों का अमुद्रांकित/अपंजीकृत दस्तावेजो के आधार पर अन्तिम क्रेता के नाम नियमन करने तथा मुल आवंटन राशि पर देय स्टॉम्प ड्यूटी पर लीज डीड का पंजीयन करने की छूट बाबत्।

संदर्भः–राज्य सरकार द्वारा जारी पत्रांक प.3(313)नविवि/3/2011 दिनांक 22.06.2017 एवं इस कार्यालय का पत्रांकः मुसप्र/2017/359 दिनांक 11.07.2017 एवं वित्तीय सलाहकार के कार्यालय आदेश कमांकः वसूली/2017–18/71/228 दिनांक 14.08.17।

राज्य सरकार के वित्त विभाग द्वारा जारी नोटिफिकेशन दिनांक 14.07.2014 के बिन्दु संख्या 1 के क्रम में अन्तिम क्रेता के नाम नियमन (नियमितिकरण) किये जाने हेतु मण्डल के पत्र क्रमांक मुसप्र/2017/359 दिनांक 11.07.2017 द्वारा निर्देशित किया गया था। किन्तु वृत्त/खण्ड कार्यालयों द्वारा लीज राशि, मासिक किश्तो पर राज्य सरकार द्वारा देय छूट की तिथि एवं नियमन (नियमितिकरण) की तिथि के सम्बन्ध में जानकारी चाही जा रही है।

अतः सभी उप आवासन आयुक्त/आवासीय अभियन्ता को निर्देशित किया जाता है कि राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी आदेशो एवं मण्डल के संदर्भित आदेशो द्वारा पूर्व में ही स्पष्ट किया जा चुका है जिसके अनुसार राजस्थान आवासन मण्डल की तरफ बकाया लीज राशि एक मुश्त जमा कराये जाने पर देय ब्याज राशि 100 प्रतिशत की छूट का लाभ दिनांक 01.04.17 से दिनांक 30.09.17 तक प्रभावी है। तथा EWS व LIG के आवंटित आवासो में मासिक किश्ते व अन्य बकाया राशि दिनांक 31.12.17 तक एक मुश्त जमा कराई जाने पर ब्याज व पैनेल्टी में शत प्रतिशत छूट देय है। तद्नुसार लीज पर देय ब्याजं पर छूट, EWS, घरौंदा व LIG के आवासो में किश्तो एवं बकाया राशि पर ब्याज व पैनेल्टी में छूट का लाभ उनकी विहित तिथियो तक आवेदको को प्रदान करना सुनिश्चित करें।

इस कार्यालय के आदेश दिनांक 22.08.2017 में तय की गई तिथियॉ सिर्फ समय पर कार्यवाही सुनिश्चित करने के लिये प्रशासनिक तौर पर तय की गई थी। तथा उनके कारण राज्य सरकार की तरफ से प्राप्त छूट के लाभ से किसी भी पात्र व्यक्ति को वंचित नहीं किया जावे।

साथ ही मण्डल द्वारा आवंटित/विक्रीत स्थावर सम्पतियों का अमुद्रांकित/अपंजीकृत दस्तावेजो के आधार पर अन्तिम क्रेता के नाम नियमन (नियमितिकरण) हेतु राज्य सरकार के

लगातार ..2..

वित्त विभाग से अधिसूचना दिनांक 14.07.14 के सम्बन्ध में जानकारी की गई। जानकारी अनुसार इस सम्बन्ध में कोई अन्तिम तिथि निश्चित नहीं है। तदानुसार इस सम्बन्ध में अग्रिम आदेशो तक कार्यवाही सम्पादित करावें।

राज्य सरकार द्वारा निर्धारित छूट के प्रकरणो का सम्बन्धित उप आवासन आयुक्त व आवासीय अभियन्ता स्वयं पर्यवेक्षण करें। उपरोक्त योजनान्तर्गत पात्र व्यक्ति को किसी प्रकार की असुविधा नहीं होनी चाहिये।

(डॉ0 के.बी. गुप्ता)
आवासन आयुक्त

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

1. निजी सचिव, अध्यक्ष/आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
2. निजी सचिव, मुख्य अभियन्ता, प्रथम/द्वितीय/मुख्यालय/सचिव/निदेशक (विधि)/वित्तीय सलाहकार, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
3. अतिरिक्त मुख्य अभियंता, प्रथम/द्वितीय/तृतीय, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
4. अतिरिक्त निदेशक (जन सम्पर्क), राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
5. संयुक्त एनालिस्ट (निदेशक), राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि मण्डल की वेबसाईट पर अपलोड करें।
6. रक्षित पत्रावली

मुख्य सम्पर्क प्रबन्धक